FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0010 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/01/2026 18:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/01/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:05 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/01/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/01/2026 18:39:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
      (b) **Address(पता):** JODHPUR DISCOM, UPKHAND UPNI MUKHYALAY, SHRI DUNGARGARH
      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6: **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH PRASAD

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PRABHURAM JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LIKHMISAR UTRADA, SHRI DUNGARGARH, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LIKHMISAR UTRADA, SHRI DUNGARGARH, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VINOD KUMAR		पिता:BHAGWANA RAM	1. SARDARPURA,RAWATSAR,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,45,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,45,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,ACB चूरू।विषयः- कार्यवाही करने बाबत।महोदय,निवेदन है कि मै जगदीश पुत्र श्री परभुराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतराधा तहसिल श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी प्रभुराम ने श्री केशुराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बाडेला से कृषि कनेक्शन खाता संख्या 1505-0176 खरीद किया था। कृषि कनेक्शन श्री केशुराम से मेरे पिताजी श्री प्रभुराम के नाम खसरा परिवर्तन के लिए पत्रावली एईएन कार्यालय उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ में जुलाई 2025 में जमा करवा दी थी। उसी समय एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां ने कहा कि आप फसल में पानी लगा लो और ट्रांसफार्मर ले जाओ एक बिल जमा करवाने के बाद यह कनेक्शन आपके पिताजी प्रभुराम के नाम से कर देगें। इनके कहने से मै श्रीडूंगरगढ के उपनी जीएसएस से ट्रांसफार्मर लेकर गया और टयूबवैल चालु कर मूंगफली की फसल में पानी लगाना चालु कर दिया। इसके 5-7 दिन बाद एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां हमारे खेत में आया और ट्रांसफार्मर की फोटो खीच कर कहा कि यह कनेक्शन अभी आपके नाम नही हुआ हैं आपकी सीट भरेगें और चले गये। दूसरे दिन मै श्रीडूंगरगढ जाकर एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां से मिला तो उन्होने कहा कि आपकी हमने सीट भर दी है आपके 70 हजार रूपये लगेंगे। अब मै दिनांक 27.12.2025 को श्रीडूंगरगढ जाकर एईएन हर्ष से मिला तो एईएन साहब ने कहा कि लाईनमैन विनोद पूनिया से बात कर लो तो मैने लाईनमैन विनोद पूनियां से कहा कि 70,000रू0 बहुत ज्यादा हैं तो विनोद पूनियां ने कहा कि कम में एईएन साहब नही मानेगें आप 50,000रूपयें खर्चे के दे देना आपका कनेक्शन आपके पिताजी के नाम और सीट के जुर्माने का का भी करवा देगें। यह कनेक्शन मेरे पिताजी के नाम पर करने के नाम पर व सीट भरने के नाम पर एईएन व लाईनमैन 50,000रूपये रिश्वत के मेरे से मांग रहे हैं। यह बात मैने मेरे पिताजी प्रभुराम को बताई तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने सही काम के लिए किसी को कोई रिश्वत नही देनी है आप इनको रिश्वत लेते हुऐ पकडवाने की कार्यवाही दो। इसके बारे में मैने केशुराम पुत्र शिवकरण निवासी बाडेला से बात की तो उन्होने कहा कि मैने कनेक्शन आपके नाम से करवाने बाबत लिखापढी आपके पिताजी के नाम से कर दी हैं। अगर फिर भी सही काम के लिए कोई रिश्वत मांग रहा हैं तो आप रिश्वत लेते पकडवाने की कार्यवाही कर दो। मेरे पिताजी अनपढ और वृद्ध भी है कनेक्शन करवाने की पूरी कार्यवाही मैने ही की है। हमारा एईएन हर्ष तथा लाईनमैन विनोद पूनियां के मध्य कोई उधारी का लेन-देन बकाया नही हैं। एईएन हर्ष व लाईनमैने विनोद पूनियां हमारे कनेक्शन को नाम करने के नाम पर तथा सीट भरने की धमकी देकर मेरे से 50,000रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं, मै उनको रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें।तारीक 29.12.2025 प्रार्थी-एसडी-जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम जाटनिवासी लिखमीसर उतराधातहसील श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)मोबाइल न0

कार्यवाही पुलिसदिनांक 29.12.2025 को वक्त 04.00 पीएम पर श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्रभुराम जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी लिखमीसर उतराधा तह0 श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ने हाजिर चौकी होकर उक्त रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के पेश की, रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवादी जगदीश ने दरियाफ्त पर बताया कि हमारे रिस्तेदार श्री केशुराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बाडेला तह0 श्रीडूंगरगढ ने अपना बिजली कृषि कनेक्शन खाता संख्या 15050176 मेरे पिताजी श्री प्रभुराम के नाम से परिवर्तन करने बाबत पत्रावली माह जुलाई 2025 में सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ में जमा करवा दी थी। उसी समय एईएन हर्ष व लाईन मैन विनोद पूनियां ने कहा कि आप ट्रांसफार्मर ले जाओ जिस पर मै ट्रांसफार्मर लेकर गया और बिजली विभाग वालों ने हमारे खेत में कनेक्शन कर दिया तथा मै फसल में पानी लगाने लगा। बिजली विभाग वालो ने कहा कि एक बिल केशुराम के नाम से आयेगा उसके बाद में कनेक्शन आपके पिताजी के नाम से कर देगें तो अगला बिल आपके पिताजी प्रभुराम के नाम से आ जायेगा। ट्रांसफार्मर लगाने के 5-7 दिन बाद एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां हमारे खेत में आये और फोटो वगैरा खीच कर ले गये। एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां हमारी वीसीआर भरने और मेरे पिताजी के नाम कनेक्शन ट्रांसफर 50,000रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मेरे पिताजी व केशुराम ने मेरे को कहा है कि अपने सही काम के लिए रिश्वत नही देनी है। हमारी एईएन हर्ष व विनोद पूनियां लाईनमैन से कोई दुश्मनी नही है तथा ना ही हमारा कोई उधारी का लेन-देन बकाया हैं।परिवादी श्री जगदीश प्रसाद को मांग सत्यापन करवाने के बारे में पुछा गया तो जगदीश प्रसाद ने बताया कि एईएन हर्ष व लाईनमैन विनोद पूनियां कल सुबह अपने कार्यालय श्रीडूगंरगढ में मुझे मिल सकते है जिनसे मिलकर मै बातचीत कर सकता हूं।

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद को अपने पिताजी प्रभुराम व रिस्तेदार केशुराम से सहमति बाबत पुछा गया तो बताया कि कल मै मेरे पिताजी व रिस्तेदार केशुराम से सहमति भी आपको लिखित में दिलवा सकता हॅू क्योकि वो दोनो ही वृद्ध है यहां पर नही आ सकते। इस पर श्री राजकुमार कानि 223 के मार्फत कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि परिवादी जगदीश प्रसाद को समझाई गई तथा कानि राजकुमार व परिवादी जगदीश प्रसाद का आपसी परिचय करवाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बरों से अवगत करवाया जाकर परिवादी जगदीश प्रसाद को हिदायत कर रूखस्त दी गई।दिनांक 30.12.2025 को वक्त 7.30 एएम पर सरकारी वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर श्री राजकुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गई परिवादी जगदीश प्रसाद के पास श्रीडूंगरगढ पंहुच कर मांग सत्यापन करवाये तथा परिवादी के पिताजी प्रभुराम व रिस्तेदार श्री केशुराम से सहमति प्राप्त करे। बाद हिदायत कानि राजकुमार को परिवादी के पास श्रीडूंगरगढ रवाना किया गया।वक्त 11.00 पीएम पर श्री राजकुमार कानि. 223 हाजिर आया तथा वॉईस रिकॉर्डर व परिवादी के पिताजी प्रभुराम व रिस्तेदार श्री केशुराम के लिखित सहमति प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मैं चूरू से रवाना होकर श्रीडूंगरगढ पहुंच परिवादी जगदीश प्रसाद से सम्पर्क कर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में भेजा गया। मैं वहीं पर आस-पास चाय की थडी पर मुकिम हो गया। परिवादी जगदीश प्रसाद बिजली विभाग श्रीडूंगरगढ के कार्यालय के पास एक चाय की थडी पर एक व्यक्ति से बात करने लगा। परिवादी जगदीश प्रसाद से बात करने वाला व्यक्ति अन्दर कार्यालय में चला गया और परिवादी मेरे पास आया मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी जगदीश प्रसाद ने बताया कि चाय की थडी पर मेरे से जो बात कर रहा था वो विनोद पूनियां ही था जिससे मैने हमारे बिजली कनेक्शन के बारे में बात की तो विनोद पूनियां लाईनमैन ने कहा कि आपका मामला उलझा हुआ हैं। आपकी वीसीआर 3,54,000 की भरी हुई है पहले वीसीआर के पैसे जमा करवाने पडेगे उसके बाद ही बिजली के कनेक्शन का खसरा चेज होगा। मेरे को कहा कि आप उक्त वीसीआर राशि के आधे रूपये दे देना आपकी वीसीआर भी कम्पलिट करवा दुंगा और बिजली कनेक्शन खसरा ट्रांसफर की पत्रावली लाकर दे देना आपके बिजली कनेक्शन ट्रांस्फर की कार्यवाही करवाकर डिमाण्ड नोटिस जारी करवाकर आपका कनेक्शन लीगल करवा दुंगा। मैने कहा ये तो डेढ-पौने दो लाख रूपये होते है इतने रूपये मेरे से नही होगें तो विनोद पूनियां ने कहा कि आप 1,50,000 रूपये दे देना आपकी सीट भरने व खसरा बदलने की कार्यवाही करवा दुंगा और आपका कनेक्शन का डिमाण्ड नोटिस जारी होने तक की कार्यवाही करवा दुंगा। मैने कहा कि एईएन साहब ने तो 70 हजार रूपये की कही थी तो विनोद पूनियां नें कहा कि एईएन साहब इस मामले में कोई बात नही करेगें। उसने कहा है कि कल तो मै आपको नही मिलुगा आप बिजली कनेक्शन खसरा ट्रांस्फर की पत्रावली तैयार करवाकर डेढ लाख रूपयों के साथ ले आना आपका बिजली कनेक्शन लीगल करवा दुंगा। मेरे व विनोद पूनियां के मध्य हुई वार्ता को वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। परिवादी जगदीश प्रसाद ने बताया कि विनोद पूनियां ने कह दिया कि एईएन बात नही करेगा तो मै अब एईएन से बात नही करूगा। निर्देशानुसार परिवादी जगदीश प्रसाद को सुबह 10 बजे कार्यालय में चूरू पंहुचने की हिदायत कर परिवादी को उसके गांव ही छोड़कर रवाना होकर हाजिर आया हूं। कानि राजकुमार के द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। श्री केशुराम व परिवादी के पिताजी श्री प्रभुराम की लिखित सहमति बाबत पेश किये गये प्रार्थना पत्र शामिल किये गये।दिनांक 31.12.2025 को 10.30 एएम पर परिवादी जगदीश प्रसाद हाजिर कार्यालय आया व श्री राजकुमार के द्वारा दिनांक 30.12.2025 को बताई गई बातों को दोहराते हुऐ बताया कि लाईनमैन विनोद पूनियां ने मेरी वीसीआर भरने तथा हमारे कनेक्शन का खसरा बदलनें के नाम पर 1,50,000 रूपये की मांग की है जो मैने रिकॉर्ड किया हैं। परिवादी जगदीश प्रसाद व आरोपी विनोद पूनियां लाईनमैन के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.12.2025 जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया।रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी करीब करीब सवा लाख रूपये की रसीद देने की बात कर रहा है तथा परिवादी ने भी बताया है कि श्री केशुराम से मेरे पिताजी प्रभुराम के नाम से भी अभी तक बिजली कनेक्शन नही हुआ। मेरे पिताजी के नाम बिजली कनेक्शन होने के बाद ही खसरा परिवर्तन होगा। जब तक वीसीआर नही भरी जाती तब तक खसरा परिवर्तन की कार्यवाही नही हो सकती हैं। परिवादी ने कहा कि विनोद पूनियां लाईनमैन मेरे से खुलकर बात कर लेते है तो मै रूपये देने में एक दो दिन लेट कर दुंगा तो भी मेरे से रूपये ले लेगें। मै एक बार अपने पिताजी प्रभुराम के नाम से बिजली कनेक्शन बदलवाने बाबत कार्यवाही के बारे में पुछताछ कर आपके पास आता हूं। जिस पर परिवादी जगदीश प्रसाद को हिदायत कर रवाना किया गया हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।दिनांक 01.01.2026 वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी जगदीश प्रसाद हाजिर कार्यालय आया व बताया कि आज हमारे घर पर मेरे पिताजी प्रभुराम के नाम से बिजली विभाग के

द्वारा दिनांक 29.08.2025 को वीसीआर नम्बर 13831/15 भरने के नाम से नोटिस क्रमांक 1374 दिनांक 19.12.2025 डाक से प्राप्त हुआ है। परिवादी के द्वारा उक्त नोटिस की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। परिवादी ने बताया कि केशुराम से मेरे पिताजी प्रभुराम के नाम से भी अभी तक बिजली कनेक्शन नही हुआ। मेरे पिताजी के नाम पर कनेक्शन होने के बाद खसरा परिवर्तन होगा। इसलिए मै एक बार दुबारा लाईनमैन विनोद पूनियां के पास कल सुबह जाकर खुलासा बात करके आ सकता हूं। जिस पर परिवादी जगदीश प्रसाद को को हिदायत दी गई की कल सुबह आपके पास कानि राजकुमार वॉईस रिकॉर्डर लेकर श्रीडूंगरगढ पंहुच जायेगा। आप उनसे वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर आरोपी से खुलासा वार्ता करें। बाद हिदायत परिवादी जगदीश प्रसाद को रूखसत दी गई।दिनांक 02.01.2026 वक्त 7.30 एएम पर श्री राजकुमार कानि. 223 को कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत कर परिवादी के पास श्रीडूंगरगढ रवाना किया गया था। वक्त 2.30 पीएम पर श्री राजकुमार कानि. 223 मय परिवादी जगदीश प्रसाद के हाजिर आये तथा कानि राजकुमार ने वॉईस रिकॉर्डर पेश किया। परिवादी जगदीश प्रसाद ने बताया कि वार्ता के अनुसार श्रीडूंगरगढ मे मेरे को राजकुमार मिला। हम दोनो बिजली विभाग श्रीडूंगरगढ के कार्यालय के पास पंहुचे तो राजकुमार ने वॉईस रिकॉर्डर चालु कर मेरे को सुपुर्द किया। कार्यालय की तरफ बनी चाय की थडी पर लाईनमैन विनोद पूनियां मेरे को मिला। मैने विनोद पूनियां को कहा कि एक लाख पन्द्रह हजार का हमारे पास नोटिस आ गया है वो तो हमारे को भरने ही पडेगें जो मै भरवा दुंगा, अब आप कुछ कम करो तो विनोद पूनियां लाईनमैन ने कहा कि आप दस कम कर देना, एक लाख चालिस हजार दे देना। मैने कहा मेरे को पता चला है कि मेरे पिताजी के नाम से बिजली कनेक्शन नही हुआ। पहले मेरे पिताजी के नाम से बिजली कनेक्शन होगा उसके बाद खसरा परिवर्तन होगा। खसरा परिवर्तन से पहले नाम परिवर्तन करवाना पडेगा। यह सारा काम आपको ही करवाना पडेगा। तब विनोद पूनियां ने कहा कि आपने एक काम नाम परिवर्तन वाला ओर बता दिया है जिसके पांच हजार लगेगें। तब मैने कहा कि एक लाख चालीस हजार में काम चल जायेगा तो लाईनमैन विनोद पूनियां ने कहा कि आप ने नाम परितर्वन का एक काम ओर बता दिया तो आपको 1,45,000 रूपये देने होगें। आपकी वीसीआर भरी जायेगी, आपके पिताजी के नाम से बिजली कनेक्शन हो जायेगा और खसरा परिवर्तन होकर आपके पिताजी के नाम से डिमाण्ड नोटिस निकलवा दुंगा। श्री विनोद पूनियां लाईनमैन ने हमारी वीसीआर भरने, मेरे पिताजी के नाम से बिजली कनेक्शन करवाने व खसरा परिवर्तन करवाकर मेरे पिताजी के नाम से डिमाण्ड नोटिस निकलवाने के नाम पर 1,45,000 रूपये की मांग की हैं। मेरे व विनोद पूनियां के मध्य हुई वार्ता को मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं।वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी जगदीश प्रसाद व आरोपी विनोद पूनियां लाईनमैन के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.01.2026 जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया।परिवादी जगदीश प्रसाद ने बताया कि दो दिन की कार्यालयों की छुटटी है, सोमवार को मै विनोद पूनियां लाईनमैन से मिलकर रिश्वती राशि दुंगा। इस पर परिवादी को रिश्वत में दिये जाने वाले 1,45,000 रूपये लेकर दिनांक 05.01.2026 को सुबह 7 बजे कार्यालय में आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दो स्वतन्त्र गवाह तलबी बाबत श्री आबिद खान हैड कानि को तहरीर देकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(मुख्यालय) चूरू रवाना किया गया था। हैड कानि हाजिर आया जिसने तहरीर पेश की और बताया कि निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(मुख्यालय) के द्वारा श्री संदीप कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मौ0 नूर उल हक कनिष्ठ सहायक को दिनांक 05.01.2026 को सुबह 8 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया हैं।दिनांक 05.01.2026 को 7.30 एएम पर परिवादी जगदीश प्रसाद हाजिर कार्यालय आया व बताया कि रिश्वत मे दिये जाने वाले 1,45,000 रूपये व मेरे पिता प्रभुराम के नाम खसरा परिवर्तन कर कृषि विद्युत कनेक्शन को उसके नाम से करने के लिए केशुराम पुत्र शिवकरण जाट के नाम की पत्रावली आरोपी को देने हेतु की पत्रावली साथ लेकर आया हूं। पाबंद शुदा दो कर्मचारी श्री संदीप कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मौ0 नूर उल हक कनिष्ठ सहायक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(मुख्यालय) चूरू हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो कर्मचारियों को परिवादी के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहों का हाजिर परिवादी जगदीश प्रसाद से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।वक्त 8.30 एएम पर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले एक लाख पैतालीस हजार रूपये (पांच-पांच सौ के दो सो नब्बे नोट) भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036701, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036702, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036703, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036704, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036705, एक पांच सौ रूपये का नोट

नम्बर 0PF 036706, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036707, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036708, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036709, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036710, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036711, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036712, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036713, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036714, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036715, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036716, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036717, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036718, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036719, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036720, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036721, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036722, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036723, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036724, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036725, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036726, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036727, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036728, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036729, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036730, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036731, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036732, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036733, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036734, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036735, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036736, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036737, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036738, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036739, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036740, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036741, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036742, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036743, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036744, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036745, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036746, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036747, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036748, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036749, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036750, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036751, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036752, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036753, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036754, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036755, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036756, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036757, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036758, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036759, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036760, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036761, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036762, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036763, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036764, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036765, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036766, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036767, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036768, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036769, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036770, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036771, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036772, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036773, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036774, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036775, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036776, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036777, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036778, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036779, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036780, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036781, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036782, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036783, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036784, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036785, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036786, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036787, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036788, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036789, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036790, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036791, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036792, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036793, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036794, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036795, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036796, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036797, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036798, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036799, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036800, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036801, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036802, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036803, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036804, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036805, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036806, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036807, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036808, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036809, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036810, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036811, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036812, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036813, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036814, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036815, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036816, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036817, एक पांच सौ रूपये का नोट

नम्बर 0PF 036818, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036819, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036820, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036821, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036822, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036823, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036824, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036825, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036826, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036827, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036828, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036829, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036830, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036831, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036832, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036833, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036834, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036835, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036836, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036837, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036838, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036839, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036840, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036841, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036842, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036843, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036844, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036845, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036846, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036847, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036848, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036849, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036850, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036851, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036852, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036853, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036854, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036855, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036856, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036857, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036858, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036859, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036860, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036861, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036862, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036863, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036864, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036865, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036866, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036867, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036868, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036869, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036870, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036871, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036872, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036873, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036874, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036875, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036876, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036877, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036878, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036879, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036880, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036881, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036882, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036883, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036884, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036885, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036886, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036887, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036888, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036889, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036890, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036891, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036892, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036893, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036894, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036895, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036896, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036897, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036898, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036899, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036900, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036901, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036902, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036903, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036904, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036905, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036906, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036907, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036908, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036909, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036910, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036911, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036912, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036913, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036914, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036915, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036916, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036917, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036918, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036919, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036920, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036921, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036922, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036923, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036924, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036925, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036926, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036927, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036928, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0PF 036929, एक पांच सौ रूपये का नोट

नम्बर OPF 036930, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036931, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036932, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036933, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036934, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036935, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036936, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036937, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036938, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036939, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036940, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036941, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036942, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036943, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036944, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036945, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036946, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036947, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036948, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036949, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036950, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036951, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036952, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036953, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036954, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036955, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036956, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036957, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036958, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036959, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036960, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036961, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036962, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036963, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036964, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036965, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036966, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036967, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036968, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036969, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036970, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036971, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036972, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036973, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036974, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036975, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036976, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036977, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036978, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036979, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036980, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036981, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036982, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036983, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036984, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036985, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036986, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036987, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036988, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036989, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर OPF 036990, उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री इसब अली उ0नि0 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री जगदीश प्रसाद की जामा तलाशी गवाह संदीप कुमार से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक वस्तु नहीं पाई गई। रिश्वती राशि 1,45,000 रूपये एक पॉलीथीन की थैली में रखकर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद के पहनी जकैट के अन्दर की बांयी जेब में श्री इसब अली उ0नि0 से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी लाईनमैन विनोद पूनियां द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल से मिस कॉल कर ईशारा करे। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमश देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री इसब अली उ0नि0 के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व डिस्पोजल गिलास तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। श्री इसब अली उ0नि0 व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर हमराह लिया गया जो मौका पर पंहुच परिवादी को सुपुर्द किया जावेगा। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी के पास उसका मोबाईल पास रहने दिया। परिवादी श्री जगदीश प्रसाद के पिता प्रभुराम के नाम खसरा परिवर्तन कर कृषि विद्युत कनेक्शन को उसके नाम से करने के लिए केशुराम पुत्र शिवकरण जाट के नाम की पत्रावली आरोपी को देने हेतु परिवादी के पास ही रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।वक्त 09.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी जगदीश प्रसाद मय स्वतन्त्र गवाह श्री संदीप कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मौ0 नूर उल हक कनिष्ठ सहायक तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह उप निरीक्षक, मंगतुराम

सउनि, राजपाल सिंह, आबिद खान व कृष्ण सिंह हैड कानिगण व श्रवण कुमार, राजकुमार, बसन्त सिंह, कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह तथा प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूबी 0669 मय चालक अयूब खान के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना श्रीडूंगरगढ के लिए हुआ। श्री ईशब अली उ0नि0 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।वक्त 11.50 एएम पर मैं पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के श्रीडूंगरगढ में बीदासर रोड पर जोधपुर डिस्कॉम उप खण्ड उपनी के कार्यालय के पास मैन रोड पर पंहुचा। परिवादी जगदीश प्रसाद को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर जोधपुर डिस्कॉम उप खण्ड कार्यालय के लिए आरोपी से सम्पर्क करने रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे राजकुमार, बसंन्त सिंह कानि., राजपाल सिंह, आबिद खान हैडकानिगण को रवाना किया गया। मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान व दीगर जाप्ते के उप खण्ड कार्यालय के आसपास ही मैन रोड पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए।वक्त 12.05 पीएम पर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल से मिस कॉल का करने पर मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो के जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ कार्यालय के सामने मुख्य सडक पर बनी हुई चाय की थडी पर खडे परिवादी जगदीश प्रसाद के पास पंहुचा। परिवादी से श्री राजकुमार कानि ने वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने गहरे नीले रंग के जैकेट पहने हाथ में पॉलीथीन थैली लिये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही विनोद जी है इन्होने अभी-अभी चाय की बंद थडी के पीछे मेरे से मेरे कार्य के लिए मांग कर 1.45 लाख रूपये लेकर पॉलीथीन की थैली से निकाल कर अपनी पेंट की सामने की बांयी जेब में रख लिये व थैली वही पर नीचे फैंक दी। मैने विनोद जी को मेरे पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की केशुराम नाम की फाईल इनको दी तो इन्होने कहा कि ठीक है सारा काम मै करवा दुंगा। इस पर आरोपी विनोद कुमार के दोनो हाथ श्री आबिद खान हैड कानि व श्री बसंन्त सिंह कानि से पकडवाकर जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ के कार्यालय में लाकर एक कक्ष में इस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व गवाहान का परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व पुछने पर अपना नाम श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।। जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर होना बताया। इस पर श्री विनोद कुमार को परिवादी जगदीश प्रसाद से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो विनोद कुमार ने कहा कि मैने जगदीश से इसकी वीसीआर के पैसे लिये हैं जो मेरी पेंट की जेब में हैं। आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी विनोद कुमार का दायां व बांया हाथ क्रमश बसन्त सिंह व राजपाल सिंह ने कलाईयों से पकड लिये। विनोद कुमार तकनिशियन-।। को रिश्वत लेने का अपराध करने पर गिरफतारी करने के सम्बधं में अवगत कराया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो साफ डिस्पॉजल गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी विनोद कुमार के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विनोद कुमार के बायें हाथ की अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह संदीप कुमार ने आरोपी विनोद कुमार के पहनी पेंट जींस के सामने की बांयी जेब से पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की तीन गडिडयां निकाली। उक्त राशि को गवाह संदीप कुमार द्वारा गिनकर एक लाख पैतालीस हजार रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर 1,45,000 रूपये के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी विनोद कुमार के लिए एक लोवर की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई पेंट जीन्स बरंग नीला को उतरवा कर पेंट के सामने की बांयी जेब को उल्टवा कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी विनोद कुमार की उक्त पेंट जीन्स बरंग नीला की जेब को सुखाकर उक्त पेंट को धागे मे सील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क P अंकित किया जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट पैकेट को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी ने रिश्वत राशि रखी पॉलीथीन थैली जो अपने पास रखी थी को पेश किया जिसको बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में सील्ड कर चिट चस्पा कर पैकेट को जप्त किया गया। आरोपी विनोद कुमार के पास से कृषि विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन हेतु केशूराम के नाम की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली अलग से जब्त की जायेगी।आरोपी विनोद कुमार स्वतः ही बताया कि लिखमीसर उतराधा के प्रभुराम के खेत में केशुराम के नाम से

कृषि विद्युत कनेक्शन में माह अगस्त 2025 में एईएन श्री हर्ष वैष्णव द्वारा चैकिग कर प्रभुराम के नाम से करीब 3.50 लाख रूपये की वीसीआर भरी थी। वीसीआर भरने के बाद लिखमीसर के सहीराम द्वारा मुझे फोन कर कहा कि प्रभुराम की एईएन साहब ने सीट भर दी है उसके सम्बधं में प्रभुराम का बेटा जगदीश आपके पास आयेगा उसकी मदद करना। जगदीश दो-चार बार एईएन साहब से मिला व बातचीत की तब एईएन साहब ने मुझे कहा कि वीसीआर की राशि के आधे पैसे उपभौक्ता देता है तो उसकी वीसीआर सलटा देगें। एईएन साहब के कहने से मैने जगदीश से बात की तो जगदीश ने कहा कि करीब 1.75 लाख रूपये(पौने दो लाख) ज्यादा है, इतने रूपये मै नही दे सकता तब मैने एईएन साहब से फिर दुबारा बात की तो एईएन साहब ने कहा कि डेढ लाख रूपये तक ले लेना। बाद में एईएन साहब ने दिसम्बर 2025 में प्रभुराम के नाम से नोटिस जारी किया जिसमें करीब 1.15 लाख रूपये पैनल्टी सहित राशि जमा कराने का उल्लेख किया गया। वीसीआर से कम राशि का नोटिस जारी करने के सम्बधं में एईएन साहब ही बता सकते हैं। जगदीश प्रसाद से मैने यह 1.45 लाख रूपये एईएन श्री हर्ष वैष्णव के कहने पर आज लिये हैं। यह पैसे मै एईएन साहब को देता इसमें से एईएन साहब मुझे ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रूपये देते व करीब 1.15 लाख रूपये नोटिस के अनुसार रसीद कटवा लेते तथा शेष रूपये अपने खर्चे के रख लेते। आरोपी विनोद कुमार के उपरोक्त तथ्यों की ताईद परिवादी जगदीश प्रसाद ने भी की व बताया कि मै विनोद जी से मिला तो पहले इन्होने वीसीआर के आधे यानि पौने दो लाख रूपये देने के लिए कहा बाद में इन्होने मुझे डेढ लाख रूपये में सारा काम करवाने के लिए कह कर डेढ लाख रूपये देने के लिए कहा तथा पांच हजार रूपये और कम करने की कही थी। इसलिए विनोद जी के कहे अनुसार आज इनको 1.45 लाख रूपये हमारे कृषि कनेक्शन की भरी वीसीआर को सलटाने व विद्युत कनेक्शन को मेरे पिता के नाम परिवर्तन कराने के लिए रिश्वत के दिये हैं। जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड कार्यालय के श्री सुनील कुमार स्वामी सहायक राजस्व अधिकारी ने पुछने पर बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार बाडेला गांव के शिवकरण पुत्र बुधाराम के नाम से 55 एचपी का कृषि कनेक्शन हैं जिसके खाता संख्या 15050176 हैं। माह जनवरी 2026 में जारी शिवकरण के नाम के बिल की कम्प्युटर प्रति एआरओ ने पेश की। आरोपी के पास परिवादी द्वारा दी गई केशुराम पुत्र शिवकरण निवासी बाडेला के नाम की नाम परिवर्तन आवेदन पत्रावली मिली। उक्त पत्रावली के अवलोकन से एआरओ ने बताया कि केशुराम के द्वारा अपने पिता शिवकरण की मृत्यु उपरान्त उक्त कनेक्शन स्वयं के नाम करवाने के सम्बधं में उक्त पत्रावली तैयार की गई है। परन्तु यह पत्रावली अभी तक उपखण्ड कार्यालय में जमा नही हुई हैं। इस पत्रावली के अनुसार यह विद्युत कनेक्शन केशुराम के नाम परिवर्तन किया जाकर बाद में लिखमीसर की रोही में प्रभुराम के खेत में उक्त कनेक्शन को स्थानान्तरण कर प्रभुराम के नाम से खसरा परिवर्तन होने पर किया जाता। सहायक अभियन्ता उपनी द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 1374 दिनांक 19.12.2025 के अनुसार प्रभुराम पुत्र लालाराम निवासी लिखमीसर रोही के नाम से वीसीआर संख्या 13831/15 दिनांक 29.08.2025 को सहायक अभियन्ता द्वारा भरी गई जिसके अनुसार बिजली चोरी करने पर उपभौक्ता को 1,15,557 रूपये जमा करवाने से सम्बधित उक्त नोटिस हैं। उक्त वीसीआर बुक एवं नोटिस बुक एईएन साहब श्री हर्ष वैष्णव के पास है जो आज कार्यालय से बाहर हैं। आरोपी विनोद कुमार ने बताया कि बाडेला के शिवकरण के नाम से पुनः कृषि विद्युत कनेक्शन होने पर उपभौक्ता को उपखण्ड के स्टोर से ट्रांस्फार्मर इश्यू किया गया था। उक्त ट्रांस्फार्मर उपभौक्ता ने बाडेला की रोही में नही लगाकर लिखमीसर उतराधा की रोही में प्रभुराम के खेत में लगाकर लाईन चालु की हैं। इस पर एआरओ द्वारा निर्देशानुसार स्टोर कीपर से गेट पास बुक मंगवाकर बाद अवलोकन बताया कि गेट पास बुक नम्बर 28 के क्रम संख्या 11 पर दिनांक 07.08.2025 को श्री दिनेश शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता बरजांगसर को 63 केवीए का ट्रांस्फार्मर शिवकरण पुत्र बुघाराम के नाम से इश्यू किया गया हैं। उक्त ट्रांस्फार्मर गेट पास के अनुसार बाडेला के लिए इश्यू हैं। यह ट्रांस्फार्मर लिखमीसर की रोही में प्रभुराम के खेत में कैसे स्थापित हुआ इस सम्बधं में दिनेश शर्मा जेईएन ही बता सकते हैं। उक्त गेट पास की प्रमाणित प्रति एआरओ ने पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में हाथ धुलवाई, रिश्वत बरामदगी एवं आरोपी से पुछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की सरकारी मोबाईल से विडियोंग्राफी की गई। उक्त विडियोंग्राफी मोबाईल में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सेव है। रिकॉर्ड विडियोंग्राफी का क्लॉन श्री बसन्त सिंह कानि 164 से एक पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क V अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई।ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-30 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।। द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने के आरोप में बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी व आरोपी विनोद कुमार के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता को दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क C अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क C-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री विनोद कुमार के पास श्री केशुराम पुत्र श्री शिवकरण जाति

जाट निवासी बाडेला तह0 श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन का नाम परिवर्तन करने सम्बन्धी पत्रावली हैं को जरिये फर्द जप्त किया गया। कार्यवाही के दौरान वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नं. 30 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया।वक्त 5.35 पीएम पर परिवादी जगदीश प्रसाद को बाद हिदायत इजाजत देकर मन, पु.नि. मय श्री गिरधारी सिंह उ0नि0, राजपाल सिंह, कृष्ण सिंह हैडकानिगण, राजकुमार, श्रवण कुमार कानिगण मय सरकारी वाहन व चालक सुरेन्द्र सिंह के ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त वजह सबूत हमराह लेकर श्रीडूंगरगढ से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा। जप्त शुदा बजह सबूत धोवन की छः सील्ड शिशिया, शिल्ड रिश्वती राशि 1.45 लाख रूपये, शील्ड पेंट पकैट, सील्ड पौलिथीन थैली का पकैट, लेन-देन वार्ता का शिल्ड मेमोरी कार्ड, शिल्ड व खुला पैन ड्राईव, मौके पर की गई विडियो ग्राफी का सील्ड मेमोरी कार्ड व खुला पैन ड्राईव श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि श्री केशुराम निवासी बाडेला तह0 श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के पिता स्व0 शिवकरण के नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन था। उक्त कनेक्शन को केशुराम द्वारा ग्राम लिखमीसर उतराधा के प्रभुराम जाट को विक्रय कर दिया। श्री प्रभुराम के खेत में उक्त विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करवाने के लिए प्रभुराम ने अपनी कृषि भूमि में से कुछ भूमि केशुराम के नाम से जरिये विक्रय पत्र करवाकर उक्त कनेक्शन को अपने खेत में शिफ्ट करवाया। परन्तु विद्युत विभाग में उक्त कनेक्शन के शिफ्ट करवाने तथा प्रभुराम का नाम स्थानान्तरण नही होने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। इसी दौरान श्री हर्ष वैष्णव सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी द्वारा मौके पर चैकिग कर प्रभुराम के नाम से दिनांक 29.08.2025 को बिजली चोरी की वीसीआर भरी जाकर अपने पत्रांक 1394 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा प्रभुराम के नाम से 1,15,557 रूपये का नोटिस जारी किया गया। वीसीआर की राशि को कम करवाकर उसके निस्तारण एवं विद्युत कनेक्शन को प्रभुराम के नाम से स्थानान्तरण करवाने की एवज में श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।।, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से 1.45 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुशरण में दिनांक 05.01.2026 को परिवादी जगदीश प्रसाद से 1.45 लाख रूपये रिश्वत के जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ कार्यालय के बाहर प्राप्त किये। जिस पर श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।।, को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।।, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ के सहायक अभियन्ता श्री हर्ष वैष्णव द्वारा भरी गई वीसीआर एवं विभाग द्वारा इस सम्बधं में तैयार आंकलन (एस्समेंट) के अनुसार उक्त राशि लगभग 3.54 लाख रूपये बनती है जबकि सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 19.12.2025 को 1,15,557 रूपये का नोटिस प्रभुराम के नाम से जारी किया गया हैं। साथ ही आरापी विनोद कुमार द्वारा भी दौराने ट्रेप कार्यवाही यह बताया गया कि उक्त राशि उसने हर्ष वैष्णव सहायक अभियन्ता के कहेनुसार उसके लिए ली गई हैं। एठैसी स्थिति में श्री हर्ष वैष्णव सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ की भूमिका भी संदिग्ध हैं। जिसे दौराने अनुसंधान स्पष्ट किया जायेगा।अतः श्री विनोद कुमार तकनिशियन-।।, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।(महेन्द्र कुमार)पुलिस निरीक्षक,भ्र. नि. ब्यूरो चूरू।............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भगवाना राम जाति जाट उम्र 39 वर्ष निवासी सरदारपुरा पुलिस थाना रावतसर जिला हनुमानगढ हाल तकनिशियन-द्वितीय जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड उपनी मुख्यालय श्रीडुंगरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 133 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 50-53 दिनांक 08.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- अधीक्षण अभियन्ता (जि.वृ), जोधपुर डिस्काम, बीकानेर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Ashish Kumar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused Investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2026 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)